उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 21 ₹ 20/- 1-15 अप्रैल, 2019

इस्लाम के प्रचार-प्रसार व धर्मांतरण के लिए

जमात-ए-इस्लामी का नया नेतृत्व सक्रिय

और पढ़ें...

- संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 40 मुस्लिम प्रतियोगी सफल
- शरई कानूनों की गिरफ्त में ब्रुनेई
- ईरान और अमेरिका में तनाव
- दो लाख मुसलमान जाएंगे हज यात्रा पर

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 21
1-15 अप्रैल 2019

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए
डी-51, प्रथम तल, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,
नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. इस्लाम के प्रचार-प्रसार व धर्मांतरण के लिए जमात-ए-इस्लामी का नया नेतृत्व

II. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 40 मुस्लिम प्रतियोगी सफल

III. मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास

IV. जामिया मिलिया इस्लामिया की महिला उपकुलपति

V. दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठजोड़ न होने का लाभ भाजपा को

विश्व

I. शरई कानूनों की गिरफ्त में ब्रुनेई

II. हिन्दू बहनें मुस्लिम पतियों के हवाले

III. रोहिंग्या मुसलमानों पर बमबारी

IV. शाहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप तय

V. मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

VI. अफगानिस्तान में सैनिकों की हत्या

पश्चिमी एशिया

I. ईरान और अमेरिका में तनाव

II. सूडान में सैनिक क्रांति

III. सउदी अरब और इराक के बीच दोस्ती से ईरान परेशान

IV. बगदाद में सउदी अरब का नया दूतावास

V. अल्जीरिया के राष्ट्रपति का त्यागपत्र

VI. खशोग्गी के परिवार पर डोरे डालने का प्रयास विफल

VII. रूस से मिसाइल खरीदेगा तुर्की

VIII. सउदी अरब में आतंकवादी गिरफ्तार

अन्य

I. मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए भाजपा सक्रिय

II. पंजाब में बंद मस्जिद मुसलमानों के हवाले

III. तेलुगू देशम का इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था लागू करने का वायदा

IV. दो लाख मुसलमान जाएंगे हज यात्रा पर

V. गुगल द्वारा मुस्लिम युवक को सवा करोड़ का वार्षिक पैकेज

VI. ईरान में बम धमाका

सारांश

देश के विवादित इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी हिन्द का नेतृत्व पहली बार युवा वर्ग और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को सौंपा गया है। इससे पूर्व आमतौर पर इस जमात का नेतृत्व कट्टरपंथी व्योवृद्ध मौलानाओं के ही हाथ में रहा है। 45 वर्षीय नए अमीर सआदतुल्ला हुसैनी ने इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजिनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। जमात-ए-इस्लामी द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह दावा किया गया है कि इस नई टीम के कुशल नेतृत्व में जमात-ए-इस्लामी के कार्य का देश भर में प्रसार होगा। जमात-ए-इस्लामी ने 'दावत-ए-इस्लाम' (प्रचार-प्रसार व धर्मांतरण) के कार्य पर विशेष रूप से ध्यान देने का फैसला किया है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में इस्लामी साहित्य के प्रकाशन को नई गति देने के लिए एक नया ट्रस्ट का गठन पहले ही किया जा चुका है। देश भर में कुरान मेले को आयोजित करने की योजना भी बनाई गई है ताकि अधिक-से-अधिक संख्या में गैर-मुसलमानों को इस्लाम में धर्मांतरित किया जा सके।

जामिया मिलिया इस्लामिया के 99 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उपकुलपति मनोनीत किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया को अर्जुन सिंह के शासनकाल में गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अल्पसंख्यक संस्थान का जो दर्जा दिया था वह अभी तक विवाद में है। इस संस्थान की आधारशील महात्मा गांधी ने रखी थी और उस समय उन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रवादी संस्था होगी जिसके दरवाजे सभी धर्मों और नस्लों के लोगों के लिए खुले होंगे। इस संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा किस आधार पर दिया गया? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे अमीर इस्लामिक देश ब्रुनेई में सख्त शरई कानून लागू कर दिए गए हैं। अवैध यौन सम्बन्ध और समलैंगिक संबंधों की सजा अब पत्थर मारकर हत्या होगी। जबकि चोरी करने वालों के हाथ काट देने की भी सजा का प्रावधान किया गया है। पश्चिमी देशों द्वारा शरई कानून लागू करने का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि वर्तमान आधुनिक युग में इस तरह की सख्त सजाओं की व्यवस्था करना सरासर गलत है। मगर ब्रुनेई के मुस्लिम सुल्तान इस संबंध में कोई आलोचना सुनने को तैयार नहीं हैं। अनेक इस्लामिक देशों ने भी ब्रुनेई में शरई कानून लागू करने का स्वागत किया है।

ईरान व अमेरिका के संबंध दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं। इससे मध्य-पूर्व में स्थिति विस्फोटक होने की सम्भावना है। अमेरिका ने ईरानी सेना के एक अंग 'पासदारान-ए-इंकलाब' को आतंकवादी संगठन घोषित किया है तो उसके जवाब में ईरान ने भी 'सेंट्रल कमांड ऑफ अमेरिका' को 'आतंकवाद प्रायोजक' और अमेरिकी सुरक्षा बलों को 'आतंकवादी समूह' घोषित करने में कोई देरी नहीं की है। हैरानी की बात यह है कि सउदी अरब और इजरायल दोनों मिलकर अमेरिका के इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं।

तुर्की और अमेरिका के संबंधों में भी खटास आती जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने रूस से एस 400 मिसाइल खरीदने की घोषणा की है जिसका अमेरिका द्वारा डंटकर विरोध किया जा रहा है। अमेरिका ने तुर्की को सैनिक विमान सप्लाई करने के समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है।

राष्ट्रीय

I

इस्लाम के प्रचार-प्रसार व धर्मांतरण के लिए जमात-ए-इस्लामी का नया नेतृत्व

जमात-ए-इस्लामी की बागडोर अब युवा टीम ने सम्भाल ली है। जानकार सूत्रों के अनुसार जमात-ए-इस्लामी ने देश भर में इस्लाम के प्रचार-प्रसार व धर्मांतरण का नया अभियान छेड़ने का फैसला किया है। देश भर में कुरान मेलों का आयोजन करने की भी योजना बनाई गई है ताकि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा सके। जमात-ए-इस्लामी एक पृथक प्रकाशन प्रकोष्ठ की भी स्थापना की है जिसके तहत हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इस्लाम से संबंधित प्रचार साहित्य भारी संख्या में प्रकाशित किया जाएगा ताकि इस्लाम का ज्यादा-से-ज्यादा प्रचार व प्रसार करके धर्मांतरण की गति को तेज किया जा सके।

हैरानी की बात यह है कि जमात-ए-इस्लामी आज तक यह दावा करती आ रही है कि उसका राजनीति से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। मगर इसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में उसने मुसलमानों से यह अपील की है कि वे सेकुलर पार्टियों को ही वोट दें ताकि साम्प्रदायिक हिन्दू पार्टी पुन: सत्ता में न आ सके।

अखबार-ए-मशरिक (8 अप्रैल) के अनुसार सैयद सआदतुल्ला हुसैनी को जमात-ए-इस्लामी का नया अमीर बनाया गया है। वे मौलाना जलालुद्दीन उमरी की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल चार वर्ष का होगा। हुसैनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन (एसआईओ) के दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वे इस संगठन के अध्ययन और अनुसंधान प्रकोष्ठ के निदेशक भी रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी हिंद के मजलिस-ए-नुमाइंदगन के 157 सदस्यों ने उनके चुनाव में हिस्सा लिया। दूसरे नम्बर पर टी. आरिफ अली रहे। चार वर्ष पूर्व भी आरिफ अली ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था मगर वे हार गए थे। पूर्व अध्यक्ष जलालुद्दीन उमरी बारह वर्ष तक संगठन के अमीर रह चुके हैं। नए अमीर सैयद हुसैनी का संबंध हैदराबाद से है। हालांकि उनका जन्म 1973 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे पेशे से कम्युनिकेशन और कम्प्यूटर इंजिनियर हैं और बारह पुस्तकों के लेखक भी हैं। ज्ञातव्य है कि जमात-ए-इस्लामी में चुनाव की पद्धति अन्य संगठनों से सर्वथा भिन्न है। इस संगठन में व्यक्ति विशेष पर बहस की जाती है और उसके बारे में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाता है। इससे पूर्व मौलाना उमरी के अतिरिक्त डॉ. अब्दुल हक अंसारी, मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन, मौलाना मोहम्मद युसूफ और मौलाना अबुल लइस इस्लाही नदवी भी जमात-ए-इस्लामी के अमीर रह चुके हैं।

जमात-ए-इस्लामी के मुखपत्र **दावत** (10 अप्रैल) के अनुसार नए अमीर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वे 31 मार्च, 2023 तक इस पद पर रहेंगे। पूर्व अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की आयु 84 वर्ष हो चुकी है। समाचारपत्र ने कहा है कि जमात-ए-इस्लामी के प्रतिनिधिमंडल का अधिवेशन समाप्त हो गया है। इसका अधिवेशन चार साल में दो बार होता है और पहले अधिवेशन में जमात-ए-इस्लामी के अमीर और केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। दूसरे अधिवेशन में नए अमीर के कार्य पर विचार-विमर्श होता है। समाचारपत्र के अनुसार निर्वाचन मंडल में इस बार 157 व्यक्ति शामिल थे जिनमें से 147 ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। निर्वाचन मंडल के सदस्यों की संख्या में जमात-ए-इस्लामी के कार्य के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है।

दावत (13 अप्रैल) ने जमात-ए-इस्लामी का नेतृत्व युवा वर्ग को सौपे जाने का स्वागत किया है और कहा है कि गत कुछ दशकों में दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों ने नौजवानों को आगे बढ़ाया और उसके नेतृत्व को स्वीकार किया। इसके बेहतरीन नतीजे भी सामने आए। यही तरीका दुनिया के इस्लामिक संगठनों ने भी अपनाया। मगर अभी तक भारत के मुस्लिम संगठन

इससे कतराते रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी ने अपने स्थापना के 78वें वर्ष में अपना नेतृत्व युवा टीम को सौंपा है। यह टीम न केवल युवा है बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त है। इसी तरह से जो तीन नायब अमीर मनोनीत किए गए हैं उनमें मोहम्मद जफर, मोहम्मद सलीम इंजिनियर, एस. अमीनुल हसन और महामंत्री टी. आरिफ अली भी बहुत सक्रिय और युवा हैं। अमीर का संबंध हैदराबाद से है और नायब अमीरों में मोहम्मद जफर, बिहार, मोहम्मद सलीम इंजिनियर, राजस्थान, एस. अमीनुल हसन, कर्नाटक और टी. आरिफ अली केरल से हैं। इस तरह से अब जमात-ए-इस्लामी देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती है। यह पहला अवसर है कि जमात-ए-इस्लामी की पूरी टीम को बदल दिया गया है। पूराने और बुजूर्ग नेता नई टीम का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब तक जमात-ए-इस्लामी के पांच अमीर कार्य कर चुके हैं। हुसैनी नए छठे अमीर हैं। पूराने अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी 84 वर्ष के थे और वे पिछले 12 वर्षां से अमीर का पद सम्भाले हुए थे। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि इस नई टीम के नेतृत्व के कारण जमात-ए-इस्लामी के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत होगी। जमात के नए महामंत्री टी. आरिफ अली पिछले चार वर्षों से नायब अमीर के पद पर थे। उन्होंने सउदी अरब की किंग सउद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। पेशे से वे अध्यापक हैं। दिल्ली में हुए प्रतिनिधिमंडल की बैठक में कार्यसमिति के 24 सदस्य भी चुने गए हैं।

इंकलाब (9 अप्रैल) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी के नवनिर्वाचित अमीर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देशवासियों को समाज में फैलाई जा रही नफरत से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति का धर्म है और हम देश के अन्य धर्मावलंबियों से सम्पर्क करके उनमें इस्लाम के बारे में फैली हुई भ्रांतियों के निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पूर्व अमीर मौलाना उमरी, नए अमीर हुसैनी, मोहम्मद सलीम इंजिनियर आदि पदाधिकारी भी मौजूद थे। एक प्रश्न के उत्तर में अमीर ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी ने कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। हमने हर उस उम्मीदवार को सफल बनाने की अपील जरूर की है जो कि साम्प्रदायिक ताकतों के उम्मीदवारों को हरा सकता हो। एसआईओ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपना निर्णय तय करते हैं। जमात-ए-इस्लामी से उसका कोई संबंध नहीं है। नए अमीर ने कहा कि हमें ठोस बुनियादों पर वोट डालने चाहिए और भावुक नहीं होना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल समाज को विघटित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका हमें डंटकर मुकाबला करना चाहिए। जमात-ए-इस्लामी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें संसदीय चुनाव और भारतीय मुसलमान, कश्मीर की स्थिति, न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला और फिलिस्तीन का मुद्दा शामिल हैं। एक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सख्त निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों का आने वाले समय पर लम्बा प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान सत्तारूढ़ दल का दृष्टिकोण नकारात्मक है जिसके कारण देश का विकास रूका हुआ है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वायत्तता खतरे में है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि विपक्षी दल भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं और एकजुट नहीं होकर आपस में ही लड़ रहे हैं। चिंतकों, पत्रकारों और सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेवारी है कि वे सत्तारूढ़ पार्टी की झूठ-फरेब और दुष्प्रचार के वातावरण का मुकाबला करें।

कश्मीर की स्थिति का उल्लेख करते हुए वहां पर बढ़ती हिंसा और अशांति के वातावरण पर गहरी चिंता प्रकट की गई है और सरकार तथा प्रशासन से मांग की गई है कि वह हालात को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। जमात-ए-इस्लामी का कहना है कि वह फिलिस्तीन पर इजरायली जुल्मों और अरब देशों के खिलाफ इजरायल के आक्रामक कार्रवाईयों तथा अमेरिका की गतिविधियों को गहरी चिंता से देखती है और उनकी निंदा करती है। हाल में ही अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों को इजरायल के हवाले करने का जो फैसला किया है और इजरायल ने यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित किया है वह उनकी ज्यादती का सीधा उदाहरण है। जमात-ए-इस्लामी ने भारत सरकार से यह मांग की है कि वह अपनी पूरानी नीति का अनुशरण करते हुए फिलिस्तीन की आजादी के अभियान का खुलेआम समर्थन करे और वहां पर मानवीय अधिकारों के हनन की घटनाओं को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। जमात-ए-इस्लामी ने अपने प्रस्ताव में फिलिस्तीन की जनता का समर्थन करते हुए उन्हें पूरा सहयोग देने की घोषणा की है।

टिप्पणी: जहां तक जमात-ए-इस्लामी का सम्बन्ध है यह एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है जिसका लक्ष्य देश में 'निजाम-ए-मुस्तफा' की स्थापना करना है। जमात-ए-इस्लामी की स्थापना लातूर में रहने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी उलेमा सैयद अबुल आला मौदूदी ने की थी। देश के विभाजन के बाद इसके दो भाग हुए। जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। जबकि जमात-ए-इस्लामी हिन्द की स्थापना इलाहाबाद में 1948 में की गई। पहले इसका मुख्यालय रामपुर में था। आजकल यह दिल्ली में है। बाद में जमात-ए-इस्लामी के चार भाग हो गए। इनमें जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान, जमात-ए-इस्लामी जम्मू -कश्मीर, जमात-ए-इस्लामी हिन्द और जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश शामिल हैं। पाकिस्तान में हुए देशव्यापी अहमदी विरोधी दंगों की जांच के लिए पाकिस्तान सरकार ने मुनीर आयोग का गठन किया था। इस आयोग की सिफारिश पर 17 लोगों को फांसी की सजा दी गई जिनमें जमात-ए-इस्लामी के अमीर मौदूदी भी शामिल थे। बांग्लादेश सरकार ने भी जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर रखा है और वहां पर दो दर्जन से अधिक प्रमुख नेताओं को विभिन्न आरोपों में फांसी पर लटकाया जा चुका है। जहां तक जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर का संबंध है पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों से गहरे संबंध रखने के आरोप में केन्द्र सरकार ने हाल में ही उसपर प्रतिबंध लगाया है और इस संगठन से सम्बन्धित अनेक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत में भी जमात-ए-इस्लामी पर दो बार प्रतिबंध लग चुका है। जमात का नेतृत्व हमेशा व्योवृद्ध लोगों के हाथ में ही रहा है। यह पहला अवसर है जब इस जमात का नेतृत्व अपेक्षाकृत युवा वर्ग और आईटी के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को सौंपा गया है।

II

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 40 मुस्लिम प्रतियोगी सफल

इंकलाब (6 अप्रैल) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने 2018 की प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 40 मुस्लिम प्रतियोगियों का चयन किया गया है। मुस्लिम उम्मीदवार जुनैद अहमद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। गोरखपुर की आयमन जमाल आईपीएस के लिए चुनी गई हैं। ज्ञातव्य है कि गत वर्ष संघ लोक सेवा आयोग ने 980 उम्मीदवारों का चयन किया था मगर इस बार उनकी संख्या घटकर 759 हो गई। गत वर्ष 50 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे लेकिन इस बार उनकी संख्या कम है। मगर 2017-18 के पदों के अनुपात में मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन संतोषजनक है। परीक्षा में तीसरा स्थान पाने वाले जुनैद अहमद का संबंध उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के कस्बा नगीना से है। अनेक मुस्लिम संगठन मुस्लिम प्रतियोगियों को इन परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त करवाते हैं। इनमें से जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के 18 उम्मीदवार सफल हुए हैं जिनमें गौहर हसन (बिहार), मोहम्मद सरफराज आलम (बिहार), मोहम्मद तौसीफ उल्लाह (बिहार), शफकत अमना (बिहार), शाहिद रजा (बिहार), जायेद अहमद अंसारी (गुजरात), फैजल खान (हरियाणा), बाबर अली (जम्मू-कश्मीर), जावेद हुसैन (झारखंड), रेना जमील (झारखंड), जिथिन रहमान (केरल), मोहम्मद अब्दुल (केरल) रंजीना मेरी (केरल), सैयद रियाज अहमद (महाराष्ट्र), मोहम्मद मुस्तफा ऐजाज (तेलंगाना), जुनैद अहमद (उत्तर प्रदेश), शाहिद अहमद (उत्तर प्रदेश), शेख मोहम्मद जायेद (महाराष्ट्र) आदि शामिल हैं।

इंकलाब (8 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों पर संतोष व्यक्त किया है। मगर इस बात पर चिंता भी प्रकट की है कि इस परीक्षा में जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनमें मुसलमानों का अनुपात मात्र 3.69 प्रतिशत है। मुसलमानों में अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगिताओं में भाग लेने की ललक बढ़ी है। संपादकीय में कहा गया है कि जो लोग इस परीक्षा में सफल रहे हैं उनलोगों में अधिकांश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। जो गैर मुसलमान छात्र इस प्रतियोगिता में सफल हुए हैं उनमें से अधिकांश गरीब परिवारों से संबंधित हैं। अगर वे लोग इन परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं तो मुसलमानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें डटकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

टिप्पणी : ज्ञातव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित की गई अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा में 52 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे।

हमारा समाज (1 मई, 2018) के अनुसार केन्द्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अखिल भारतीय सेवाओं में मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सर्वाधिक संख्या में मुस्लिम प्रतियोगी चुने गए हैं। नकवी ने कहा कि इस वर्ष 990 छात्र सफल हुए हैं जिनमें मुसलमानों की संख्या 131 है। इनमें से 52 उम्मीदवार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 'उड़ान' और 'नया सेवरा' नामक योजनाओं के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अल्पसंख्यक छात्रों की परीक्षा से पूर्व तैयारी करवाने की जो नि:शुल्क व्यवस्था की है उसके कारण मुस्लिम छात्र-छात्राओं की अखिल भारतीय सेवाओं में भागीदारी बढ़ी है।

इंकलाब (29 अप्रैल, 2018) के अनुसार इन प्रतियोगियों में 50 मुसलमान हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रेस-नोट के अनुसार छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की जो व्यवस्था की गई थी उसमें प्रशिक्षण पाने वाले 43 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमें मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के छात्र भी शामिल हैं। इसी तरह से ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि उनके संस्थानों में प्रशिक्षण पाने वाले 26 उम्मीदवार सफल हुए हैं। सफल होने वालों में 15 लड़कियाँ भी शामिल हैं। सबसे अधिक मुस्लिम प्रतियोगी उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं जिनकी संख्या 9 है। केरल से 6 और जम्मू-कश्मीर से 3 उम्मीदवार चुने गए हैं।

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (2 मई, 2018) ने अपने सम्पादकीय में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मुस्लिम छात्रों की सफलताओं पर प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा है कि इस बार पिछले बार के अनुपात में मुस्लिम छात्राएं भी अधिक सफल हुई हैं। सम्पादकीय में कहा गया है कि सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए कई मुस्लिम संस्थान नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था करते हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि 2016 में 36 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए थे, 2015 में 38 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए। जबकि 2014 में 34 मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन हुआ, 2013 में 30 मुस्लिम उम्मीदवार, 2012 में 30 मुस्लिम उम्मीदवार, 2011 में 30 मुस्लिम उम्मीदवार, 2010 में 31 मुस्लिम उम्मीदवार, 2009 में 21 मुस्लिम उम्मीदवार चुने गए।

III

मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास

दावत (10 अप्रैल) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि जैसे-जैसे चुनाव समीप आ रहे हैं मुसलमानों को इन चुनावों में हाशिए पर डाला जा रहा है। मुस्लिम संगठन मुसलमानों से सेकुलर ताकतों को कामयाब बनाने की भले ही अपील कर रहे हों लेकिन सेकुलर पार्टियां मुसलमान वोटरों को वह महत्व नहीं दे रही हैं जिनके वे हकदार हैं। न तो किसी पार्टी ने जनसंख्या के अनुपात से मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हैं, न ही कोई बड़े नेता मुस्लिम क्षेत्रों में चुनावी अभियान को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि सेकुलर पार्टियां यह समझ रही हैं कि जब बगैर मांगे मुस्लिम वोट मिल जाते हैं तो उनके पास जाने या उनकी समस्याओं पर बोलने की क्या जरूरत है। या वे यह मानकर चल रहे हैं कि अगर मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे तो वे जाएंगे कहां? मुसलमान तो अब भी इस खुशफहमी के शिकार हैं कि सेकुलर पार्टियां उन्हें और उनके वोटों को महत्व देती हैं। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनावों से देखा जा रहा है कि चुनावी अभियान मंदिरों और मठों से शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। अर्थात सभी पार्टियां सिर्फ बहुसंख्यकों के धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देश में

अल्पसंख्यक भी हैं। वे किस हाल में हैं? उनकी समस्याएं और परेशानियां भी हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं, जैसे सिर्फ बहुसंख्यक लोग ही वोट देते हैं और उन्हीं के वोटों से केन्द्र और राज्यों में सरकारें बनती हैं।

बीजेपी अगर सख्त हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद की बात कर रही है तो कांग्रेस नरम हिन्दुत्व की। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि 20 करोड़ मुसलमानों की चुनावों में किसी को चिंता नहीं है। उनकी समस्याओं को जानने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। न हीं उनसे कोई वायदा ही किया जा रहा है। मुसलमान भी परेशान होकर बैठे-बैठे स्थिति को देख रहे हैं। साम्प्रदायिक ताकतें चाहती हैं कि देश में मुसलमानों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म किया जाए। उन्हें कोई राजनीतिक पार्टी महत्व न दे। इसलिए उन्हें जानबूझकर हाशिए पर पहुंचाया जा रहा है। इस रणनीति को समझने की जरूरत है। जबतक मुसलमानों को वोट बैंक कहा जाता था उन्हें हर कोई पूछता था। मीडिया में चर्चा होती थी कि इस बार मुस्लिम वोट किधर जा रहा है? मगर जैसे ही उनको वोट बैंक कहना बंद हुआ अब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मुसलमानों के खिलाफ हालात जिस तेजी से बदले हैं उनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। पहले सिर्फ मुस्लिम विरोधी राजनीति होती थी। मगर अब तो उनकी बात करने से ही नेताओं को रोक दिया गया है। खुद को सेकुलर पार्टी कहने वाली पर्टियां अपनी वोटों के हिसाब से मुस्लिम वोटों को गिनती तो जरूर हैं लेकिन वह मुसलमानों को अपने से दूर रखती हैं ताकि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लेबल न लगे। वह मुसलमानों को टिकट भी नहीं देती हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जाते।

पहले यह कहा जाता था कि जिसको भी मुस्लिम वोट मिलेंगे उसकी जीत निश्चित है। इसलिए इनको खुश करना जरूरी है। मगर अब इस तरह की कोई बात नहीं होती। संयुक्त पर्टियों की सत्ता की इस दौर में जात-पात करने वाली पार्टियां आपस में गठजोड़ कर लेती हैं और यह समझती हैं कि इनकी बिरादरी का वोट मिल गए तो मुसलमान का वोट तो मुफ्त में मिल जाएगा फिर उनकी समस्याओं की चिंता करने की क्या जरूरत है? मुसलमान भी अपने वोटों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। वह किसी को सफल बनाने की बजाय अपने वोटों को जाया करने का काम कर रहे हैं। देश में सौ से ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक है। लेकिन अगर वहां के चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया जाए तो वहां से वही पार्टी जीतती है जिसे मुसलमान नहीं चाहते। वहां से कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। जिसके कारण न तो वे खुद जीत पाते हैं और न ही ऐसे व्यक्ति को जीता पाते हैं जिसको वे चाहते हैं। ऐसी स्थिति बिरादरियों और जातों में नहीं होती। वे पहले पार्टियों पर दबाव डालते हैं कि उनमें से ही उम्मीदवार बनाए जाएं और अगर उनको टिकट मिल जाता है तो वे उसे सफल बनाने के लिए जी-जान से जुट जाते हैं। वरना वे निराश होकर उसे हराने का काम करते हैं।

पहले यह कहकर भी मुसलमानों से वोट लिया जाता था कि अगर वे वोट नहीं देंगे तो देश का सेकुलरिज्म और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सेकुलरिज्म का बोझ उठाते-उठाते मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं या इतने कमजोर बना दिए गए हैं कि अब उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक स्वरूप का मुद्दा फिर न्यायालय में उठाया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में मुसलमानों को पिछड़ा बनाने के बाद अब राजनीति और चुनाव में भी मुसलमानों को हाशिये पर लाने का एक खामोश अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बेहद खतरनाक हैं। क्योंकि अगर राजनीति और चुनाव में मुसलमानों का महत्व नहीं रहेगा तो वे कहीं के नहीं रहेंगे।

सहाफत (11 अप्रैल) के एक लेख के लेखक मोहम्मद आसिफ इकबाल ने कहा है कि इस समय 2354 राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है। 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है। लेखक ने यह स्वीकार किया है कि 1951 में देश में मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 8.9 प्रतिशत था जो कि 2018 में बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया। लेकिन बढ़ती आबादी के अनुपात में लोकसभा में मुस्लिम सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। 1952 में 11 मुसलमान चुने गए थे जो कि कुल प्रतिनिधियों के अनुपात में 2 प्रतिशत थे। इसके बाद 1957 में 19, 1962 में 20, 1967 में 25, 1971 में 28, 1977 में 34, 1980 में 49, 1984 में 42, 1989 में 27, 1991 25, 1996 में 29, 1998 में 28, 1999 में 31, 2004 में 34, 2009 में 30 और 2014 में 24 मुस्लिम सदस्य चुने गए।

यदि बढ़ती हुई आबादी को सामने रखा जाए तो सबसे कम मुस्लिम 2014 के चुनाव में निर्वाचित हुए। मुस्लिम सांसदों की संख्या में जो गिरावट हुई है उसके दो कारण थे। सेकुलर पार्टियों की पराजय हुई जबकि साम्प्रदायिक पार्टियों ने जानबूझकर मुसलमानों की संख्या को खत्म करने का प्रयास किया। लेखक ने दावा किया है कि देश में 46 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मुसलमान मतदाता 30 प्रतिशत से ज्यादा हैं। मगर इन क्षेत्रों से भी मुस्लिम उम्मीदवार इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि विभिन्न पार्टियों ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जिसके कारण मुस्लिम वोट विभाजित हुए और गैर-मुसलमान चुने गए। लेखक ने आरोप लगाया है कि क्योंकि लोकसभा में मसुलमानों का प्रतिनिधित्व कम है इसलिए वर्तमान सरकार जानबूझकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है।

IV

जामिया मिलिया इस्लामिया की महिला उपकुलपति

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (12 अप्रैल) के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईएपीए) की प्रोफेसर नज़्मा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया का उपकुलपति मनोनीत किया है। यह किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला उपकुलपति होंगी। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार विश्वविद्यालय के विजिटर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको पांच वर्ष के लिए मनोनीत किया है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति की गई है। मोतीहारी स्थित महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रो. संजीव शर्मा को मनोनीत किया गया है। जबकि वर्धा स्थित महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय का उपकुलपति डॉ. रजनीश कुमार शुक्ला को मनोनीत किया गया है। इन नियुक्तियों से पूर्व चुनाव आयोग से विशेष अनुमति ली गई है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होने की बाद कोई भी नियुक्ति नहीं की जा सकती।

जहां तक प्रो. नज़्मा अख्तर का संबंध है वह गत 40 वर्षो से अध्यापन कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में राज्य सरकार की शिक्षा संस्थान एसआईएमटी की स्थापना का श्रेय नज़्मा अख्तर को दिया जाता है। वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी परीक्षाओं की नियंत्रक और शैक्षणिक मामलों की निदेशक रह चुकी हैं। वह इग्नू में भी कार्य कर चुकी हैं। प्रो. नज़्मा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से शिक्षा में पीएचडी की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की हैं और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनकी काफी पहचान है। ज्ञातव्य है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व उपकुलपति प्रो. तलत अहमद को कुछ समय पूर्व जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के कारण जामिया मिलिया इस्लामिया के उपकुलपति का पद रिक्त हुआ था।

टिप्पणी: जामिया मिलिया इस्लामिया के 99 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इस संस्थान का उपकुलपति नियुक्त किया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया क्या अल्पसंख्यक संस्थान है यह मामला काफी दिनों से विवादित चल रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रकाशन विभाग ने एक पुस्तक 'जामिया की कहानी' प्रकाशित की है जिसके लेखक इस संस्थान में काम करने वाले पुराने अध्यापक अब्दुल गफ्फार मुदहोली हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या-20 में कहा गया है- "1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जब मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी, हकीम अजमल खान और मौलाना शौकत अली अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों से यह अनुरोध करने के लिए वहां गए कि वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करें तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रबंधकों ने अंग्रेजों के दबाव में इन कांग्रेसी नेताओं को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया।" पृष्ठ संख्या-23 के अनुसार इस

अवसर पर इन नेताओं ने यह तय किया कि एक राष्ट्रवादी संस्थान की स्थापना की जाए जिसके दरवाजे सभी भारतवासियों के लिए बिना किसी धार्मिक भेदभाव के खुले हों।

जामिया मिलिया की स्थापना की घोषणा करते हुए मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी ने कहा, "यह राष्ट्रीय संस्थान होगा जिसके दरवाजे सभी भारतवासियों के लिए बिना धर्म और जाति के परवाह किए खुले रहेंगे। विश्वविद्यालय सिंडिकेट की पहली बैठक में यह निर्णय किया गया कि इस संस्थान में इस्लाम और हिन्दू दोनों धर्मों की शिक्षा की व्यवस्था होगी।" इसी पुस्तक के अनुसार महात्मा गांधी डॉ. मोहम्मद इकबाल को जामिया मिलिया इस्लामिया का पहला कुलपति बनाना चाहते थे मगर उन्होंने मुस्लिम लीगी होने के कारण इस राष्ट्रवादी संस्था की जिम्मेवारी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसलिए इस संस्था का पहला चांसलर कांग्रेस के तात्कालीन अध्यक्ष हकीम अजमल खान को बनाया गया। 1928 में हकीम अजमल खान के निधन के बाद इस संस्थान की बागडोर डॉ. जाकिर हुसैन ने सम्भाली। 1 मार्च, 1935 को इस संस्थान को अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया। इसने प्रारम्भ में करोलबाग में कार्य करना शुरू किया। 1935 में ओखला में इसकी आधारशीला महात्मा गांधी ने रखते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है जिसके दरवाजे सभी भारतीयों के लिए खुले रहेंगे।

1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जामिया को 'डिम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया। दिसम्बर 1988 में संसद ने एक कानून पारित किया जिसके तहत इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि अजीज बाशा बनाम भारत सरकार सन् 1968 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई भी विश्वविद्यालय संसद द्वारा पारित कानून के तहत बनाई जाती है और वह सरकार से फंड लेती है तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता।

विचित्र बात यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग ने जामिया मिलिया इस्लामिया को इसके बावजूद अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता दे दी। यह दर्जा मिलने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया को प्रवेश कोटे में 50 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम छात्रों को देने का अधिकार प्राप्त हो गया। दलितों और पिछड़े वर्ग के कोटे को समाप्त कर दिया गया।

कहा जाता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक आयोग को इस तरह का निर्णय लेने का हक प्राप्त नहीं था। दूसरी ओर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सिद्दीकी ने अपने फैसले में यह दावा किया कि उनका यह निर्णय संविधान और कानून की परिधि में है और उन्होंने यह निर्णय जामिया छात्र संघ और जामिया वोल्ड ब्वॉयज एसोसिएशन द्वारा 2006 में दायर याचिकाओं को सामने रखकर किया है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या संसद द्वारा स्थापित जामिया मिलिया इस्लामिया अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त करने का हकदार है? इस संस्था की स्थापना 1939 में एक बॉडी द्वारा की गई थी। 1951 में केन्द्र सरकार ने इसकी डिग्री को मान्यता प्रदान की। 1988 में इसे संसद ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया।

V

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठजोड़ न होने का लाभ भाजपा को

साप्ताहिक नई दुनिया (1 अप्रैल) के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के प्रयास विफल हो गए हैं। कांग्रेस ने सातों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी है। विपक्षी मतों के विभाजन का लाभ निश्चित रूप से भाजपा को होगा। समाचारपत्र के अनुसार शीला दीक्षित की जिद् के कारण यह गठबंधन नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस से गठजोड़ करना चाहती थी जिसके लिए कांग्रेस के स्थानीय नेता तैयार नहीं हुए। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस के प्रभारी पी.सी. चाको आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करने के पक्ष में थे। पिछले आम चुनाव के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठजोड़ हुआ था वह अधिक दिनों तक चल न सका।

समाचारपत्र ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी को शायद एकाध सीट मिल भी जाए मगर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और राहुल गांधी के बीच समझौता करवाने का प्रयास किया था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए दो सीटें छोड़ने के लिए तैयार थी। मगर शीला दीक्षित को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और यह समझौता खटाई में पड़ गया। अब तो कांग्रेस ने सातों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। चार सीटों पर आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। विपक्ष में गठबंधन न होने के कारण मुस्लिम मतों में भी विभाजन होगा जिसका लाभ भाजपा को मिलेगा। राजधानी में मुसलमान मतदाताओं का अनुपात 11 प्रतिशत है मगर लोकसभा में उनका अनुपात 20 प्रतिशत के लगभग है।

साप्ताहकि नई दुनिया ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें पूछा था कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए या कांग्रेस का। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश मुसलमान थे जिनमें से 67 प्रतिशत ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही। जबकि 33 प्रतिशत लोग कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या भी इस बात के पक्ष में थी कि उसे आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अब तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसलिए निश्चित रूप से विपक्ष के किसी भी समझौते के संभावनाओं पर पानी फिर गया है। अशरफ का कहना है कि आम आदमी पार्टी को मुसलमानों को मत देना चाहिए। भाजपा खुली दुश्मन है और कांग्रेस आस्तीन का सांप है। उनकी हां में हां कई अन्य मुसलमान भी मिलाते हैं। मुख्तार अहमद कहते हैं कि कांग्रेस गलतफहमी का शिकार है और उसमें जो घमंड है वह कभी बीजेपी में भी था। मगर बीजेपी ने स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाला। कांग्रेस अपनी जिद्द के कारण विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुई। इसमें उसे ही नुकसान होगा। सलाहुद्दीन मोहम्मद फरहाद का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने काम तो किया है इसलिए मुसलमानों को उसे ही वोट देना चाहिए। वे कहते हैं कि कांग्रेस से गठजोड़ की बता आम आदमी पार्टी का चुनावी स्टंट था। कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी की बंधुआ मजदूर है कि जब चाहे आम आदमी पार्टी उन्हें चोर कह दे और जब चाहे उससे गठबंधन की बात शुरू कर दे। शाहीन बाग, ओखला के रहनेवाले नंजुम अलहदी का कहना है कि मुसलमान कांग्रेस को कई बार आजमा चुके हैं। जहां तक मुसलमानों के बारे में कांग्रेस की नीति का संबंध है उसमें और भाजपा में कोई अंतर नहीं है।

मोहसिन अली का कहना है कि दिल्ली में विपक्ष के गठबंधन से निश्चित रूप से भाजपा को लाभ होगा। जीतपुर के मौलाना मकबुल अहमद का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, बिहार में आरजेडी को और बंगाल में ममता बनर्जी को ही मुसलमानों को वोट देना चाहिए। नुरूल्लाह का कहना है कि कोई भी सेकुलर पार्टी मुस्लिम वोटों को महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। वे भाजपा का भय उत्पन्न करके मुसलमानों का वोट तो बटोरना चाहते हैं मगर वे मुसलमानों के कल्याण करने के लिए कुछ करने को तैयार नहीं हैं। हिन्दू तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस भाजपा से भी दो कदम आगे है। इसलिए मुसलमानों को बहुत सोच–समझकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि दिल्ली के मुस्लिम वोट भाजपा को तो नहीं मिलेंगे और वे विपक्षी दलों में बटेंगे। इसका निश्चित रूप से लाभ भाजपा को ही होगा।

विश्व

I

शरई कानूनों की गिरफ्त में ब्रुनेई

इत्तेमाद (4 अप्रैल) के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित मुस्लिम बहुल देश ब्रुनेई में इस्लामिक कानून लागू कर दिए गए हैं। इन कानूनों के तहत बलात्कार, समलैंगिकता और अवैध संबंध की सजा पत्थर मारकर हत्या करने का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार चोर के हाथ काट दिए जाएंगे। ब्रुनेई में इस्लामिक कानून लागू करने की घोषणा 2014 में की गई थी और अब उसे लागू किया जा रहा है। इस देश के सुल्तान हसनल बोल्कियाह की गणना विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में होती है। सुल्तान की उम्र 72 वर्ष है। उन्होंने कहा है कि हालांकि इस्लामिक कानून को लागू करने के लिए सभी लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन उनका देश इस्लामिक है इसलिए वहां पर शरई कानून लागू किए गए हैं। आशा है कि उनकी प्रजा इसे कबूल करेगी। एक घोषणा के अनुसार शरई कानून 3 अप्रैल से लागू कर दिए गए हैं और ये राज्य में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होंगे। चाहे उनका संबंध किसी भी धर्म या नस्ल से हो। घोषणा के अनुसार शरई कानून को लागू करने की शुरुआत मई 2014 से की गई थी। प्रारम्भ में रमजान के महीने में रोजा न रखने वालों और नमाज न अदा करने वालों को जुर्माना और कैद की सजा देने की शुरुआत की गई। अब नए कानून के अनुसार समलैंगिकता और अवैध यौन सम्बन्ध के आरोपियों को पत्थर मारकर हत्या कर दी जाएगी। इस कानून के अनुसार महिला और पुरुष दोनों ही दोषी होंगे और दोनों को मौत की सजा दी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस अमानवीय सजा को लागू करने का विरोध किया है और उसे मानवाधिकार के चार्टर्ड के खिलाफ बताया है। ब्रुनेई भी इस चार्टर्ड पर हस्ताक्षर कर चुका है। यह छोटा सा देश सबसे अधिक पेट्रोल उत्पादक देशों में शामिल है।

दावत ने 10 अप्रैल के संपादकीय में ब्रुनेई में इस्लामिक कानून लागू करने का स्वागत किया है। दावत का कहना है कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होंगे। इस राज्य की कुल आबादी चार लाख 20 हजार है जिसमें से दो तिहाई मुसलमान हैं।

समाचारपत्र ने लिखा है कि उस्मानिया साम्राज्य के खात्मे के बाद विश्व की बड़ी ताकतों ने मुस्लिम विश्व को आपस में बांट दिया था। पहले विश्व युद्ध में 11 करोड़ फौजी मारे गए। यह संख्या 1940 में विश्व की कुल जनसंख्या का तीन प्रतिशत थी। समाचारपत्र ने कहा है कि विश्व की बड़ी शक्तियों को युद्धों में मारे जाने वाले करोड़ों लोगों की हत्याओं की कोई चिंता नहीं मगर जब भी इस्लामिक कानून लागू किए जाते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। क्या मुसलमानों को इस बात का हक नहीं है कि वह खुदा की मर्जी के अनुसार अपना जीवन गुजारें? यही कारण है कि ब्रुनेई में शरई कानून लागू किए जाने के साथ ही पश्चिमी देशों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है और इन्हें अमानवीय और हिंसा पूर्ण घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि यह कानून मानवीय अधिकारों का हनन करते हैं। आज के युग में मध्यकालीन सजाओं को लागू नहीं किया जा सकता। प्रसन्नता की बात यह है कि ब्रुनेई का शासन इस्लामिक कानूनों को लागू करने के लिए दृढ़संकल्प है। ब्रुनेई के कानून मंत्री और धार्मिक मामलों के मंत्री ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की है कि आज का दिन हमारे लिए बेहद प्रसन्नता का दिन है क्योंकि हम भविष्य में अपराधियों को इस्लाम और कुरान के अनुसार सजाएं दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का किसी को कोई हक नहीं है। न ही हम किसी बाहरी दबाव को सहन करेंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि छोटे से राज्य ने कुरान और इस्लाम के कानून को लागू करने के लिए जो गंभीर कदम उठाया है वह हवा के झोके की तरह है और इस्लाम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। सारे मुस्लिम जगत के लिए यह संदेश है कि वह भी इस्लामिक कानून को लागू करने की ओर बढ़ें।

II

हिन्दू बहनें मुस्लिम पतियों के हवाले

इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार इस्लामााबाद हाईकोर्ट ने सूबा सिंध के जिला घोटकी की दो हिन्दू लड़कियों को उनके मुसलमान पतियों के साथ रहने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि इन दोनों हिन्दू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण करने का मामला पाकिस्तान मीडिया में काफी दिनों से छाया हुआ है। इन लड़कियों के पिता और भाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके यह आरोप लगाया था कि कुछ गुंडों ने जबरन उनके घर में दाखिल होकर उनकी दो अल्पव्यस्क पुत्रियों का अपहरण कर लिया और इसके बाद उनका जबरन धर्मांतरण करवाने के बाद उनसे निकाह कर लिया। दूसरी ओर, इन दोनों बहनों रवीना और रीना ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया है और उसके बाद अपने पतियों से शादी की है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वे व्यस्क हैं इसलिए उन्हें अपने पतियों के साथ रहने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इन दोनों बहनों को अपने मुस्लिम पतियों के साथ रहने की अुनमति दे दी है और सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि पुलिस द्वारा इनकी सुरक्षा की जाए।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था। न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि आयोग 14 मई तक यह जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। ज्ञातव्य है कि न्यायालय ने पांच सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। इससे पूर्व पाकिस्तान मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट की ओर से न्यायालय में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि निकाह के समय दोनों लड़कियां अल्पव्यस्क नहीं थीं बल्कि बालिग थीं। रिपोर्ट में रवीना की उम्र साढ़े 19 साल और रीना की उम्र साढ़े 18 वर्ष बताई गई है।

III

रोहिंग्या मुसलमानों पर बमबारी

सहाफत (3 अप्रैल) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की वायु सेना द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर की गई बमबारी के कारण कम–से–कम तीस रोहिंग्या मारे गए और अनेक घायल हो गए। शरणार्थी आयुक्त के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ इस हमले में मारे गए रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठी कर रहा है। दूसरी ओर म्यांमार सरकार ने इस बमबारी में छह व्यक्तियों के मारे जाने की पुष्टि की है और कहा है कि इस हमले में नौ अन्य लोग घायल हुए हैं। यह हमला आतंकवादी संगठन अराकान आर्मी के शिविर पर किया गया था। अराकान आर्मी के प्रवक्ता ने वायुसेना के हमले की पुष्टि की है और कहा है कि इस हमले में उनके संगठन के लड़ाकू नहीं बल्कि आम नागरिक मारे गए थे। ज्ञातव्य है कि 25 अगस्त, 2017 को म्यांमार की राखाइन रियासत में म्यांमार की सैनिक कार्रवाई के कारण सात लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को पलायन करके बांग्लादेश में शरण लेना पड़ा था। एक अन्य समाचार के अनुसार बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को समुद्र के एक टापू पर बसाने की योजना बना रही है।

IV

शाहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप तय

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (10 अप्रैल) के अनुसार लाहौर की भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने संसद में विपक्ष के नेता और पाकिस्तानी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ और उनके पुत्र हमजा शाहबाज पर सत्ता का दुरुपयोग करने और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने के केस में आरोप तय कर दिए हैं। न्यायालय के जज नजामुल हसन के अनुसार इन

आरोपियों के खिलाफ आशियाना स्कीम और रमजान शुगर मिल मुकदमें की सुनवाई हो रही है। सरकारी वकील वारिस अली जंजुआ ने न्यायालय को बताया कि रमजान शुगर मिल की ओर जाने वाले नाले के निर्माण पर 21 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। सरकारी वकील ने कहा कि इस तरह से सरकारी खजाने को करोड़ो रुपये की क्षति पहुंचाई गई है। इसपर न्यायालय ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का यह कथन स्वीकार कर लिया जाए तो कोई भी निर्वाचित विधायक विकास योजनाओं पर एक पैसा खर्च नहीं करेगा। न्यायालय में शाहबाज शरीफ ने अपनी सीट पर खड़े होकर कहा कि उन्होंने पिछले दस वर्षो में विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा सरकार की 23 अरब की धनराशि बचाई है।

एक अन्य समाचार के अनुसार **रोजनामा राष्ट्रीय सहारा** (6 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हमजा शाहबाज की गिरफ्तारी के लिए उनके घर में छापा मारा। सरकार ने यह आरोप लगाया है कि हमजा के स्टाफ ने भ्रष्टाचार निरोधक टीम पर हमला किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जबकि मुस्लिम लीग (नवाज) के प्रवक्ता ने लाहौर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया कि जब टीम ने छापा मारा था तो उनके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं थे। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व गिरफ्तारी वारंट जरूरी नहीं है। हमजा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान कर रही है। जब भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से उन्हें तलब किया गया वे हाजिर हुए। अब सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए उनके घर का घेराव किया गया है और पुलिस उनके घर में जबरन दाखिल हुई है। उन्होंने कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय का यह निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसका वारंट जारी किया जाना जरूरी है।

V
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

इत्तेमाद (4 अप्रैल) के अनुसार मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायालयी सुनवाई शुरू हो गई है। न्यायालय में रज़ाक मौजूद थे। उनपर भ्रष्टाचार के सात आरोप लगाए गए हैं। रज़ाक ने इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है। उनपर करोड़ों डॉलर की सरकारी खजाने में हेराफेरी करने का आरोप है। सरकारी वकील के अनुसार दस मिलियन डॉलर अवैध रूप से सरकारी खजाने से निकालकर खर्च किए गए हैं। रज़ाक के वकीलों ने न्यायालय में इस मामले में पुनर्विचार करने की जो मांग की थी उसे न्यायालय ने ठुकरा दिया है।

VI
अफगानिस्तान में सैनिकों की हत्या

अखबार-ए-मशरिक (6 अप्रैल) के अनुसार अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रदेश के एक जिले पर तालिबान के हमले में दर्जनों व्यक्ति मारे गए। सरकारी सूत्रों के अनुसार तालिबान ने भारी संख्या में अफगान सैनिकों की चौकियों पर धावा बोल दिया जिसमें कम से कम 36 सैनिक मारे गए और उसने अनेक सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस हमले में 30 से अधिक तालिबान के भी मारे जाने की खबर है। तालिबान के प्रवक्ता कारी युसूफ अहमदी ने यह दावा किया है कि वह पांच सैनिक चौकियों पर कब्जा करने में सफल रहे हैं। अफगान वायुसेना ने तालिबान के कई ठिकानों पर विमान से हमले किए। बाला मरगाब क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सरकारी सैनिकों और तालिबान में दो महीने से युद्ध जारी है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। तालिबान का दावा है कि 50 सैनिक अधिकारियों ने आत्मसमर्पण किया है। उनका यह भी कहना है कि इस क्षेत्र के अनेक जिलों पर उनका कब्जा है और सरकारी सैनिकों ने अपनी चौकियां खाली कर दी हैं।

पश्चिमी एशिया

I

ईरान और अमेरिका में तनाव

सहाफत (3 अप्रैल) के अनुसार अमेरिकी सरकार ने ईरानी सेना के एक अंग 'पासदारान–ए–इंकलाब' को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने भी 'सेंट्रल कमांड ऑफ अमेरिका' को 'आतंकवाद प्रायोजक' और अमेरिकी सुरक्षा बलों को 'आतंकवादी समूह' घोषित किया है। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गए हैं।

इंकलाब (10 अप्रैल) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प विश्व आतंकवाद के प्रमुख हैं और अमेरिकी सेना एक आतंकवादी संगठन है। दुनिया में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी निर्णय की निंदा करते हुए कहा है कि पासदारान–ए–इंकलाब ईरान के रक्षक हैं और ईरान की जनता की रक्षा के लिए इस संगठन ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ईरानी टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए रूहानी ने कहा कि अमेरिका पासदारान–ए–इंकलाब के खिलाफ शत्रुता का भाव रखता है और इसी कारण उसने ईरान के इस संगठन को अपना निशाना बनाया है जबकि विश्वभर में जो आतंकवाद फैल रहा है उसके पीछे स्वयं अमेरिका का हाथ है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सेना जो कि स्वयं एक आतंकवादी संगठन है पासदारान–ए–इंकलाब को आतंकवादी कैसे घोषित कर सकती है? उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लामिक स्टेट के पीछे अमेरिका का हाथ है जो कि मुसलमानों का खून बहा रहा है। रूहानी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने जुलाई 1988 में अपनी नेवलशीप के मिसाइल से ईरानी विमान को अपना निशाना बनाया था। ईरान को अमेरिका ब्लैकमेल करना चाहता है।

ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान की सुरक्षा सेना पासदारान–ए–इंकलाब को इस क्षेत्र में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के आरोप में आतंकवादी संगठन घोषित किया था। दूसरी ओर इजरायल और सउदी अरब ने पासदारान–ए–इंकलाब को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिकी फैसले का स्वागत किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को बधाई दी है। ईरान की संसद के स्पीकर अली लारीजानी ने सिपाह पासदारान–ए–इंकलाब इस्लामी को ईरान का गौरव करार दिया है और कहा है कि पूरी ईरानी कौम इस संगठन के पीछे है। ईरानी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पासदारान–ए–इंकलाब ने इस क्षेत्र में अमेरिका द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों पर करारी चोट की है। इसके कारण अमेरिका बौखला गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट और खलीफा बगदादी के पीछे अमेरिका का हाथ है। इराक के विदेश मंत्री मोहम्मद अली अल हकीम ने अमेरिका की निंदा की है और कहा है कि इराक ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा और बगदाद किसी भी देश को ईरान और इराक के आपसी संबंधों को खराब करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि इराक से आतंकवाद के खात्मे में ईरान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने संबोधित करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान में आए इस्लामी इंकलाब को कभी मान्यता नहीं दी है और वह शुरू से ही ईरान के खिलाफ साजिशें रचने में लगा हुआ है। ईरान विकास के मार्ग पर अग्रसर है और उसे कोई नहीं रोक सकता।

इंकलाब (11 अप्रैल) के अनुसार पासदारान–ए–इंकलाब के खिलाफ अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम की रूस, इराक, तुर्की, कतर, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने आलोचना की है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका की इस कार्रवाई से सहमत

नहीं हैं। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की हरकत से मध्य-पूर्व में अस्थिरता उत्पन्न होगी। ब्रिटेन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने अपने यूरोपियन सहयोगियों से यह अनुरोध किया था कि पासदाराने इंकलाब को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए जिसे ब्रिटेन ने ठुकरा दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि जोर जबर्दश्ती और धमकी से राजनीति नहीं चल सकती। ऐसी हरकतों से अरब जगत में तनाव बढ़ेगा।

II
सूडान में सैनिक क्रांति

इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार सूडान में गत तीस वर्षों से सत्तारूढ़ राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर की सत्ता का तख्ता सेना ने पलट दिया है। उनसे त्यागपत्र लेने के बाद उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि सूडान में गत कई सप्ताह से अल बशीर के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा था। सेना ने प्रशासन चलाने के लिए ओमर अल बशीर के सहायक और रक्षामंत्री जनरल अवाद इब्न औफ़ के नेतृत्व में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया है। सेना ने देश के कई प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनमें पूर्व रक्षामंत्री अब्दुल रहीम मोहम्मद हुसैन, नेशनल कांग्रेस पार्टी के मनोनीत अध्यक्ष अहमद हारून और ओमर अल बशीर के पूर्व सहायक अली उस्मान मोहम्मद और राष्ट्रपति के अंगरक्षक शामिल हैं। देश में सैनिक क्रांति के बाद जनता ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। सेना ने रेडियो और टेलीविजन के भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है और राजधानी खार्तुम के हवाईअड्डे को बंद कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति ने सेना को यह निर्देश दिया था कि वह देश में हो रहे जनता के प्रदर्शनों को कुचलने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करे। मगर सेना ने राष्ट्रपति का आदेश मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जनता को संविधान और मानवाधिकारों के कानून के तहत प्रदर्शन करने का हक है। सेना और टैंकों को भारी संख्या में राष्ट्रपति के महल के चारों तरफ तैनात कर दिया गया है और राष्ट्रपति भवन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजधानी की सड़कों पर सेना भारी संख्या में गश्त कर रही है। ज्ञातव्य है कि ओमर अल बशीर का पूरा नाम मोहम्मद हुसैन अहमद अल बशीर है जो कि 1979 में सूडान की सेना में कर्नल थे। मगर बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री सादिक अल माहदी की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ओमर पर कई बार मुकदमा भी चला। 1992 में उन्होंने अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को सूडान में शरण दी थी। मगर तंजानिया और नैरोबी में अमेरिकी दूतावासों पर हुए तालिबान के हमलों के बाद सूडान सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अपने देश से निष्कासित कर दिया था।

III
सउदी अरब और इराक के बीच दोस्ती से ईरान परेशान

अखबार-ए-मशरिक (8 अप्रैल) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने इराक और सउदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इससे अरब जगत में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने इराक के प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे अमेरिका पर दबाव डालें कि वे इराक में नियुक्त अमेरिकी सेना को शीघ्र-अति-शीघ्र वापस बुलाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना जिस देश में देर तक डेरा डाल लेती है उसे वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है।

इराक के राष्ट्रपति बरहाम सालिह ने कहा है कि इराक को वहां पर रहने वाली अमेरिकी सैनिकों से कोई परेशानी नहीं है। ज्ञातव्य है कि इस वक्त इराक में 5200 अमेरिकी सैनिक हैं जो कि वहां पर एक समझौते के तहत नियुक्त किए गए हैं। इराक ने आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिकी सरकार से सहायता मांगी थी।

IV

बगदाद में सउदी अरब का नया दूतावास

अखबार-ए-मशरिक (6 अप्रैल) के अनुसार सउदी अरब ने इराक के साथ संबंध सुधारने के लक्ष्य से बगदाद में नया वाणिज्य दूतावास स्थापित किया है। इस अवसर पर इराक के विदेश मंत्री मोहम्मद अली अल हकीम और सउदी अरब के व्यापार मंत्री डॉ. माजिद बिन अब्दुल्लाह मौजूद थे। हाल में ही सउदी अरब के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इराक का दौरा किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में सात मंत्री और सउदी अरब के सभी बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल थे। सउदी अरब के व्यापार मंत्री ने बताया कि इराक के तीन अन्य नगरों में भी सउदी अरब वाणिज्य दूतावास खोल रहा है। इसके अतिरिक्त इराकी नागरिकों को हज और उमरा के अतिरिक्त अन्य धार्मिक स्थानों के वीजा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजदूरों, व्यापारियों के आवागमन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सउदी अरब के इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इराक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी भेंट की। सउदी अरब के संस्कृति मंत्री प्रिंस बदर बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन फरहान अल सउद ने इराक के अनेक मंत्रियों से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अब्बासी महल और अन्य ऐतिहासिक स्थानों की भी यात्रा की। फरहान ने कहा कि इराक और सउदी अरब दोनों पड़ोसी नहीं बल्कि भाई हैं।

V

अल्जीरिया के राष्ट्रपति का त्यागपत्र

सहाफत (3 अप्रैल) के अनुसार अफ्रीकी देश अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुलअज़ीज बूतेफ़्लीका ने देश में हो रहे उग्र प्रदर्शनों के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे 28 अप्रैल को सत्ता छोड़ देंगे। अल्जीरिया के 82 वर्षीय राष्ट्रपति को 2013 में उनके खिलाफ हुए जन-प्रदर्शनों के कारण दौरा पड़ गया था जिसके कारण वे अपंग हो गए थे। मगर इसके बावजूद वे अपने पद पर बने रहें। वे गत 20 वर्ष से राष्ट्रपति हैं। अब्दुलअजीज ने पिछले महीने यह घोषणा की थी कि वह पांचवी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे जिसके बाद देश भर में लाखों लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा की थी कि वे चुनाव में भाग नहीं लेंगे मगर इसके साथ ही उन्होंने चुनावी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। अल्जीरिया के सेना प्रमुख जनरल अहमद गइद सलाह ने घोषणा की कि राष्ट्रपति को फौरन अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्योंकि वे चिकित्सकों की नजर में अपने कार्य का वहन करने के योग्य नहीं हैं।

ज्ञातव्य है कि जनरल अहमद को राष्ट्रपति ने 2014 में सेना प्रमुख नियुक्त किया था। अल्जीरिया के संविधान के अनुसार उपरी सदन के स्पीकर अब्दुल कादिर 90 दिन तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उनकी निगरानी में ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा।

VI

खशोग्गी के परिवार पर डोरे डालने का प्रयास विफल

सहाफत (3 अप्रैल) के अनुसार सउदी सरकार ने अरबी मूल के पत्रकार जमाल खशोग्गी की हत्या के बाद उनके चारों बच्चों को हर महीने दस-दस हजार डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त उन्हें जद्दा में 40 लाख डॉलर का एक मकान भी दिया गया है। व्यस्क होने पर इन बच्चों को अलग-अलग मकान भी दिए जाएंगे। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस पत्रकार के हत्या के मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद पत्रकार के बच्चों और उसकी विधवा को सरकार द्वारा भारी रकम दी जाएगी।

ज्ञातव्य है कि इस पत्रकार को युवराज सलमान का आलोचक माना जाता था और युवराज के इशारे पर तुर्की स्थित सउदी अरब के दूतावास में बुलाकर इस पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। सउदी अरब ने यह घोषणा की थी कि इस पत्रकार की हत्या में युवराज का कोई हाथ नहीं है और यह आपसी झगड़े में मारा गया था।

दैनिक इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार सउदी मूल के पत्रकार जमाल खशोग्गी के परिवारजनों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने सउदी सरकार द्वारा समझौते के किसी प्रस्ताव को स्वीकार किया है। पत्रकार के सबसे बड़े बेटे सलाह खशोग्गी ने ट्विट करके कहा है कि जमाल खशोग्गी एक पत्रकार और देशभक्त सउदी नागरिक थे। उनके परिवारजनों को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वह सरासर गलत है। मामला न्यायालय में है और इस मामले पर कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होनें कहा है कि परिवारजनों द्वारा किसी को इस बात की अनुमति नहीं दी गई है कि वह किसी से समझौते की बातचीत करें। ज्ञातव्य है कि इस हत्या के संबंध में सउदी अरब में 11 लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

VII

रूस से मिसाइल खरीदेगा तुर्की

अखबार-ए-मशरिक (10 अप्रैल) के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने कहा है कि तुर्की एक अलग देश है और किसी देश को यह हक नहीं है कि वह उसके द्वारा रूस से मिसाइल खरीदने की योजना में बाधक बने। अर्दगान ने यह बात मास्को में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद बताई। उन्होंने कहा कि सीरिया के पूर्व में हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले किसी भी सैनिक ठिकाने को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ मिलकर हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली आतंकवादी संगठनों को सीरिया से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और हमने रूस से एस-400 मॉडल के मिसाइल खरीदने का फैसला किया है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (3 अप्रैल) के अनुसार अमेरिका ने यह धमकी दी है कि अगर तुर्की ने रूस से मिसाइल खरीदे तो उसे एफ 35 युद्ध विमानों के पुर्जो की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार अमेरिका ने तुर्की को एफ 35 विमानों की सप्लाई इस वर्ष करनी थी। मगर अब अमेरिका ने इन विमानों और उनके पूर्जो को सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर तुर्की ने रूस से मिसाइल खरीदे तो उसे विमान और उनके पूर्जे सप्लाई नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर तुर्की द्वारा रूस से मिसाइल खरीदने को स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञातव्य है कि तुर्की नाटो रक्षा संधि का सदस्य है इसलिए उसे अमेरिका से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त होते रहे हैं।

VIII

सउदी अरब में आतंकवादी गिरफ्तार

अखबार-ए-मशरिक (10 अप्रैल) के अनुसार सउदी अरब में सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले 55 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 34 सउदी नागरिक हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 9 का संबंध यमन, दो का मिस्र और शेष का पाकिस्तान, सीरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान से है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार गत तीन महीने के दौरान प्रशासन ने आतंकवाद के आरोप में 178 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अब तक सउदी अरब में 5224 आतंकवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 2219 सउदी, 354 यमनी, 244 सीरियाई, 78 मिस्री और 20 सूडानी नागरिक हैं। जबकि शेष का संबंध अन्य देशों से है। सउदी सरकार ने दावा किया है कि कनीफ़ नगर में सुरक्षा सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए आतंकवादी हमले के प्रयासों को विफल बना दिया है। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए जबकि दो को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में एक बहरीनी महिला, एक पाकिस्तानी ड्राइवर और दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए। आतंकवादियों की गाड़ी से विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र नकदी, फर्जी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि गुप्तचर एजेंसियों ने इस बात की जानकारी दी थी कि एक गाड़ी में सवार होकर चार आतंकवादी हमला करने आए हैं। इसपर सुरक्षा अधिकारियों ने नाकाबंदी करके उनको सरकार के हवाले करने की कोशिश की। दोनों ओर से मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों के बमों से पेट्रोल पम्प में आग लग गई और बाद में इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए जो कि सउदी नागरिक थे।

अन्य

I

मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिए भाजपा सक्रिय

अखबार-ए-मशरिक (8 अप्रैल) ने कहा है कि लोकसभा के चुनावों में मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए भाजपा सक्रिय हो गई है और उसने अपने मुसलमान प्रवक्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि नरेन्द्र मोदी के सत्ताकाल में मुसलमानों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों का प्रचार-प्रसार ज्यादा-से-ज्यादा करें। भाजपा के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने ईटीवी भारत से विशेष वार्ता में कहा है कि इस लक्ष्य से एक रणनीति तय की जा रही है ताकि मुसलमानों में भाजपा की पैठ को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भारी संख्या में योजनाएं शुरू की गई जिससे मुसलमानों को बहुत लाभ पहुंचा है। मुसलमानों में यह जो गलत प्रचार किया गया है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है यह आधारहीन है और इसका निराकरण किया जा रहा है। भाजपा ने मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने में विशेष भूमिका निभाई है जिसके बारे में मुसलमानों को विशेष रूप से अवगत कराया जाएगा। अनेक मुस्लिम देशों ने नरेन्द्र मोदी को विशेष अवार्ड देकर सम्मानित किया है जो सारे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुसलमानों का दृष्टिकोण भाजपा के बारे में नकारात्मक है। इसको बदलने की जरूरत है। भाजपा मुसलमानों का विकास और उसका कल्याण चाहती है।

II

पंजाब में बंद मस्जिद मुसलमानों के हवाले

इंकलाब (12 अप्रैल) के अनुसार पंजाब के जिला जालंधर में नकोदर के समीप गोहर गांव की मस्जिद को इस्लाह उम्मत और मौलाना फजलुर्रहमान की निगरानी में मुसलमानों के हवाले कर दिया गया है। देश के विभाजन के बाद इस मस्जिद पर मास्टर संदीप और मक्खन सिंह का कब्जा था। गत कई महीने से मौलाना फजलुर्रहमान और मौलाना मसूद आलम मुजाहिरी की ओर से इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि इस मस्जिद को मुसलमानों के हवाले कर दी जाए। इस मस्जिद पर काबिज दोनों गैर-मुस्लिम व्यक्तियों ने इसे मुसलमानों के हवाले कर दिया और वहां पर नमाज की शुरुआत हो गई। दावा यह है कि इस गांव में इस समय 17 घराने मुसलमानों के रह रहे हैं। वे अभी तक अपने घरों में ही नमाज अदा करते थे। ज्ञातव्य है कि पंजाब में मस्जिदों को मुसलमानों के हवाले करने का अभियान गत कुछ वर्षो से नायब इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी की ओर से चलाया जा रहा है और अब तक कई दर्जन मस्जिदें मुसलमानों को वापस लौटाई जा चुकी हैं।

III

तेलुगू देशम का इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था लागू करने का वायदा

अखबार-ए-मशरिक (7 अप्रैल) के अनुसार तेलुगू देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चन्द्रबाबू नायडू ने अपने चुनावी घोषणापत्र में यह वायदा किया है कि बिना ब्याज की इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना करेंगे। उन्होंने इस चुनावी घोषणापत्र में तेलंगाना के वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी की आलोचना की है और कहा है कि राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में 24 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में उनकी सरकार ने केन्द्र सरकार से तीस अवार्ड प्राप्त किए और आंध्र प्रदेश देश का नम्बर वन राज्य बन गया। पोलावरम परियोजना का 75 प्रतिशत भाग पूर्ण हो चुका है। अमरावती पांचवा बड़ा महानगर बनने जा रहा है। घोषणापत्र में मुफ्त शिक्षा देने, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने, आरोग्य श्री योजना का लक्ष्य पांच लाख करने और विवाह के अवसर पर एक-एक लाख रुपया तोहफा देने की भी बात कही गई है।

IV

दो लाख मुसलमान जाएंगे हज यात्रा पर

अखबार-ए-मशरिक (10 अप्रैल) के अनुसार भारत से इस वर्ष हज यात्रा के लिए दो लाख हज यात्री सउदी अरब जाएंगे। इनके लिए 22 नगरों से सीधा विमान सेवाएं चलाई जा रही हैं। दस नगरों से विमान सेवाएं मदीना तक के लिए होंगी। जबकि अन्य 12 नगरों से हाजी जद्दा जाएंगी। यह जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉ. मसूद अहमद खान ने दी। उन्होंने कहा कि हज यात्रा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। विमान सेवाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने कहा कि विमान के यात्रियों के किराए तय करने के लिए अभी विचार विमर्श चल रहा है। हज यात्रा के इतिहास में इस वर्ष सर्वाधिक यात्री सउदी अरब जा रहे हैं। पिछले वर्ष पौने दो लाख भारतीयों ने हज यात्रा की थी। जबकि 2017 में इनकी संख्या एक लाख 70 हजार थी। तीन वर्ष पूर्व तक भारतीय हज यात्रियों का कोटा एक लाख 36 हजार हुआ करता था। अब मोदी सरकार के प्रयासों से हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि की गई है।

V

गुगल द्वारा मुस्लिम युवक को सवा करोड़ का वार्षिक पैकेज

जदीद मरकज (7 अप्रैल) गुगल के लंदन ऑफिस में सवा करोड़ सलाना के पैकेज पर मुंबई के रहने वाले अब्दुल्ला खान को नौकरी मिल गई है। उसकी बेसिक सैलरी 54 लाख से अधिक है। अब्दुल्ला को हैरानी तब हुई जब उसे गुगल से मेल आया। हालांकि उसने इस नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं किया था। वह तो आईआईटी परीक्षा में प्रवेश की तैयारी कर रहा था। गुगल को प्रोग्रामिंग से संबंधित साइट पर अब्दुल्ला खान का बायोडेटा नजर आया। गुगल की ओर से उसे कुछ सवाल पूछे गए। अब्दुल्ला ने सोचा कि यह भी ऑनलाइन प्रतियोगिता की परीक्षा होगी, इसलिए उसने उत्तर दे दिया। जब गुगल से उसे मेल मिला कि उसे नौकरी के लिए चुन लिया गया तो वह हैरान रह गया। इसे भाग्य ही कहा जाएगा कि जो लड़का आईआईटी की परीक्षा पास न कर पाया हो और उसे ऐसी नौकरी मिल जाए। मुंबई के 21 वर्षीय अब्दुल्ला खान को स्वप्न में भी यह नौकरी मिलने की आशा नहीं थी। यह इंजिनियरिंग कॉलेज के स्नातक से मिलने वाले पैकेज से भी 30 गुणा अधिक है। अब्दुल्ला एलआर तिवारी इंजिनियरिंग कॉलेज मीरा रोड़ मुंबई का छात्र है। अब्दुल्ला खान ने सउदी अरब में शिक्षा प्राप्त की थी और वह बारहवीं पास करने के बाद भारत आया था।

VI

ईरान में बम धमाका

सहाफत (9 अप्रैल) के अनुसार इराक के तटीय नगर बंदर अब्बास में ईरानी सेना के नौसैनिक अड्डे में हुए धमाके के कारण तीन अधिकारी मारे गए। बताया जाता है कि जब एक युद्धपोत में मरम्मत की जा रही थी तो अचानक धमाका हुआ जिसमें कम-से-कम तीन लोग मारे गए। जिस नौसैनिक अड्डे में धमाका हुआ वह बंदर अब्बास नगर से 37 कि.मी. दूर है। ज्ञातव्य है कि हाल में ही ईरानी फौजी अड्डों में सात बार धमाके हो चुके हैं। ईरान गुप्तचर विभाग के अनुसार इन धमाकों के पीछे आतंकवादियों का हाथ है। 3 फरवरी को ईरान के अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र में लगी आग के कारण तीन वैज्ञानिक मारे गए थे। अमेरिकी समाचारपत्र न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जब ईरानी वायुसेना एक मिसाइल का प्रशिक्षण कर रही थी तो वह फट गया जिसके फलस्वरूप कम-से-कम छह लोग मारे गए।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

LATEST EVENT

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा 8 अप्रैल, 2019 को **'Undercurrents in Indian Party System'** पर संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ी मल कॉलेज में किया गया। इस अवसर पर **'Terrorism in Jammu and Kashmir : Ideology and Program'** और **'आतंकवाद- जम्मू-कश्मीर-एक प्रयोगशाला : विचारधारा और कार्यक्रम'** पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया।

पुस्तक का लोकार्पण

श्री टॉम वडक्कन

प्रो. वी.के. मल्होत्रा

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org